

Filling no. RCS-A/496/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 134 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/496/2017

CNR no. MP30010043752017

सिविल वाद क्रमांक 134 ए/2017

संस्थित दिनांक 04/08/2017

बादल सिंह पुत्र देवी सिंह कुशवाह,
उम्र-59 वर्ष, निवासी-ग्राम लहरौली,
परगना व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी

//बनाम//

1. नरेश सिंह कुशवाह पुत्र कमल सिंह कुशवाह,
उम्र-57 वर्ष, निवासी-ग्राम सगरा, परगना व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रतिवादी

2. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री रमन कुमार शर्मा।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री अजब सिंह चौहान।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक 08 दिसम्बर 2017 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. यह वाद ग्राम सगरा, जिला भिण्ड स्थित प्रतिवादी के स्वत्व व कब्जे की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1520 क्षेत्रफल 0.09 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमि" से निर्दिष्ट) के संबंध में वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य निष्पादित विक्रय अनुबन्ध दिनांक 02.01.2014 के विनिर्दिष्ट पालन या विकल्प में वादी द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि एक लाख रुपये व ब्याज की वापिसी हेतु संस्थित किया गया है।
3. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि के विक्रय के संबंध में वादी व

प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच लिखित अनुबन्ध पत्र दिनांक 02.01.2014 को निष्पादित हुआ और उसी समय गवाहों के समक्ष वादी ने एक लाख रुपये अग्रिम प्रतिवादी क्रमांक 1 को अदा किये। विक्रय अनुबन्ध में यह शर्त थी कि शेष प्रतिफल पचास हजार रुपये वादी 2 वर्ष के भीतर प्रतिवादी क्रमांक 1 को अदा करेगा और विक्रय प? निष्पादित करायेगा। वादी ने कई बार पचास हजार रुपये लेकर विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु कहा, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 टालमटोल कराता रहा और वादी के तत्पर व तैयार होने के बाद भी विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। विक्रय अनुबन्ध में यह भी शर्त थी कि यदि विक्रयपत्र निष्पादित नहीं हुआ तो प्रतिवादी क्रमांक 1 अग्रिम धनराशि एक लाख रुपये 2 प्रतिशत ब्याज की दर से वापिस करेगा। दिनांक 12.12.2016 को वादी ने गांव के लोगों के समक्ष प्रतिवादी को विक्रय अनुबन्ध दिखाते हुये विक्रय करने के लिये कहा, प्रतिवादी ने 10 दिन में विक्रय पत्र निष्पादित करने का आश्वासन दिया और दिनांक 20.12.2016 को विक्रय पत्र के निष्पादन से इंकार कर दिया। वादी ने दिनांक 06.01.2017 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी भेजी, जो प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त हो गयी परन्तु विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया। इस पर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन या विकल्प में ब्याज सहित अग्रिम धनराशि वापिसी हेतु सिविल वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है और वाद के लम्बन काल तक विवादित भूमि पर निर्माण कार्य व विक्रय को निषेधित किया जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कभी भी विवादित भूमि के विक्रय की चर्चा वादी से नहीं की, वादी से कभी कोई विक्रय पत्र भी निष्पादित नहीं हुआ है और वादी द्वारा कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी गयी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय अनुबन्ध पत्र की कोई जानकारी नहीं है, तथाकथित अनुबन्ध पत्र दिनांक 02.01.2014 फर्जी, कूटरचित है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं। दिनांक 12.12.2016 या दिनांक 20.02.2016 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से विक्रय के लिये कहने की कहानी झूठी व मनगढ़ंत है और वादी का सूचनापत्र भी प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त नहीं हुआ है। वादी का विवादित भूमि पर कोई हक नहीं है, विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व व कब्जे की है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने गेंहू बोया है और वादी के पक्ष में कोई मामला न होने से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधारविचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. इस मामले में विक्रय अनुबन्ध दिनांक 02.01.2014 के विनिर्दिष्ट पालन का विवाद है। सम्पूर्ण वादपत्र में इस तथ्य का कोई कथन नहीं है कि अभिकथित विक्रय अनुबन्ध दिनांक 02.01.2014 के पालन में वादी को विवादित भूमि का कब्जा सौंपा गया है। विक्रय अनुबन्ध दिनांक 02.01.2014 रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसकी सत्यता को भी प्रतिवादी क्रमांक 1 ने चुनौती दी है और स्वयं वादी ने विकल्प में ब्याज सहित अग्रिम धनराशि एक लाख रुपये वापिस दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

7. इस मामले में विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है, अभिकथित विक्रय अनुबन्ध भी दिनांक 02.01.2014 का है और ऐसी दशा में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है। स्वयं वादी के अभिवचन के अनुसार भी एक लाख रुपये अग्रिम दिये गये हैं, जिसकी ब्याज सहित वापसी का अनुतोष भी चाहा गया है और यह स्पष्ट है कि इस मामले में धन के रूप में प्रतिकर वादी द्वारा ईप्सित यथायोग्य अनुतोष है।

8. उक्त विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है और धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष होने से वादी को अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नम्बर 1/17 स्वीकारयोग्य नहीं है और एतद्वारा खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड

(म0प्र0)